

पत्र संख्या-स्था-5(ग) लेखा संवर्ग पत्रावली/2025-26/

प्रेषक,

2066

राज्य कर

अपर आयुक्त (प्रशासन) राज्य कर,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

1- समस्त जोनल अपर आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

2- अपर आयुक्त (लेखा) राज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(स्थापना-अराजपत्रित अनुभाग)

महोदय,

लखनऊ :: दिनांक 29 08-2025

कृपया अपर निदेशक, आन्तरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश, 510/217 न्यू हैदराबाद, लखनऊ-226007 के पत्र संख्या-1691 दिनांक 27-08-2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें (छायाप्रति संलग्न), जिसके द्वारा समस्त लेखा संवर्ग के कार्मिकों का मानव सम्पदा पोर्टल पर, स्वयं अथवा आश्रित के विकलांगता, स्वयं व आश्रित की गम्भीर बीमारी एवं पति-पत्नी का राजकीय सेवा में कार्यरत होने का विवरण दर्ज कराये जाने के निर्देश दिए गये हैं।

उपरोक्त के सम्बंध में अवगत कराया गया है कि ऐसे पदोन्नत लेखाकारों जिनकी पदस्थापना की कार्यवाही पूर्ण किया जाना है की सूची संलग्न करते हुये, ऐसे कार्मिक जो पदस्थापन की प्रक्रिया में किसी प्रकार की छूट/भारांक चाहते हों तो उक्त कार्मिकों के सेवा विवरण में (स्वयं अथवा आश्रित की विकलांगता, एवं पति-पत्नी का राजकीय सेवा में होने, निलम्बन / बहाल होने की प्रविष्टि सेवा से निष्कासन, कार्मिक की मृत्यु का विवरण) मानव सम्पदा पोर्टल पर दर्ज कराये जाने की अपेक्षित कार्यवाही पूर्ण किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। उल्लेखनीय है कि कार्मिक विभाग उ०प्र० शासन के विभिन्न शासनादेशों द्वारा राजकीय विभागों में कार्यरत कार्मिकों के सेवा सम्बन्धी समस्त कार्य मानव सम्पदा पोर्टल के माध्यम से व्यवहरित किये जाने के निर्देश हैं।

अवगत कराया है कि सहायक लेखाकार से लेखाकार के पद पर प्रोन्नति प्राप्त कार्मिकों के पदस्थापना की कार्यवाही शासन स्तर पर प्रक्रियाधीन है। तदनुसार प्राप्त निर्देशों के क्रम में नव पदोन्नत लेखाकारों के पदस्थापन की कार्यवाही मानव सम्पदा पोर्टल के माध्यम से सम्पादित की जानी है।

उपरोक्तानुसार मानव सम्पदा पोर्टल से पदस्थापन की कार्यवाही पूर्ण किये जाने से पूर्व सहायक लेखाकार से लेखाकार के पदों पर प्रोन्नति प्राप्त ऐसे कार्मिकों को छूट/भारांक प्राप्त करने हेतु बांछित प्रविष्टियां मानव सम्पदा पोर्टल पर किये जाने की प्रक्रिया निम्नवत है:-

(अ) कार्मिक के पति/पत्नी शासकीय सेवा में

- यदि किसी कार्मिक के पति/पत्नी शासकीय सेवा में हैं, तो दोनों अपने सम्बन्धित कार्यालय की आफिस एडमिन आई डी० के, EDIT Registration Option का प्रयोग करेंगे।
- तदोपरान्त Husband/Wife eHRMS Code (If in Government) के OPTION में EHRMS कोड अंकित किया जायेगा।
- यदि EHRMS कोड उपलब्ध नहीं है तो कालम में शून्य (0) भरा जायेगा।
- यदि पति/पत्नी शासकीय सेवा में नहीं हैं तो कालम को खाली छोड़ दिया जायेगा।
- कतिपय कार्मिकों के P2 में NOT Alloted प्रदर्शित हो रहा है जबकि उनके SPOUSE शासकीय सेवा में नहीं हैं यह स्थिति त्रुटिपूर्ण है अतः कालम को EDIT करते हुये खाली (Blank) छोड़ दें, जिससे कि डाटा सही प्रदर्शित हो।
- सही डाटा भरे जाने की स्थिति में P2 शीट में यदि पति/पत्नी शासकीय सेवा में हैं तो EHRMS कोड प्रदर्शित होगा। यदि EHRMS कोड उपलब्ध न हो तो P2 में NOT Alloted प्रदर्शित होगा तथा पति/पत्नी शासकीय सेवा में नहीं हैं तो P2 में NOT IN GOVERNMENT प्रदर्शित होगा।

(व) स्वयं की विकलांगता / स्वयं व आश्रित की गम्भीर बीमारी होने की स्थिति में

- कार्मिक को स्वयं की विकलांगता की प्रविष्टि सम्बन्धित कार्यालय की आफिस एडमिन आई० डी० के EDIT Registration Option का प्रयोग करेंगे।
- तदोपरान्त Special Category के वांछित OPTION को चुने।
- स्वयं व आश्रित की गम्भीर बीमारी होने की स्थिति में Health Status के वांछित OPTION को चुने।

अतः अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ कार्यालयों में तैनात ऐसे पदोन्नत लेखाकारों जिनकी पदस्थापना होनी है, उनका उपरोक्तानुसार मानव सम्पदा पोर्टल पर छूट/भारांक एवं सेवा विवरण अंकित कराने का कष्ट करें, ताकि पाण्डर्शिना के साथ पदस्थापन की कार्यवाही निर्धारित समयावधि में पूर्ण की जा सके। प्रत्येक कार्मिकों का विवरण भरते समय यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि विवरण सही/शुद्ध रूप से भरा गया है एवं उससे सम्बन्धित साक्ष्यों को भी कार्यालय में अवश्य संरक्षित कर लें क्योंकि पोर्टल पर भरी गयी सूचना के आधार पर कार्मिकों द्वारा लाभ प्राप्त किया जाता है। इस निदेशालय द्वारा पोर्टल पर उपलब्ध सूचना के आधार पर ही कार्मिकों के स्थानान्तरण आदि का निर्णय लिया जाता है। अतः उपरोक्त के दृष्टिगत आपका व्यक्तिगत सहयोग अपेक्षित है।

अतः अपर निदेशक, आन्तरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश, 510/217 न्यू हैदराबाद, लखनऊ-226007 के पत्र संख्या-1691 दिनांक 27-08-2025 इस अनुरोध के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है कि कृपया निर्देशानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक: - यथोक्त।

भवदीय,

Digitally signed by
RAVI SHEKHAR SINGH
Date: 29-08-2025
16:46:38

(रवि शेखर सिंह)

संयुक्त आयुक्त (स्था०अराज०) राज्य कर
मुख्यालय, लखनऊ।

पृष्ठांकित पत्र संख्या व दिनांक उक्त।
प्रतिलिपि

1. अपर निदेशक, आन्तरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश, 510/217 न्यू हैदराबाद, लखनऊ-226007 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. संयुक्त आयुक्त, (आई०टी०) राज्य कर मुख्यालय, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट के सूचनापट्ट पर प्रदर्शित करने हेतु।

Digitally signed by
SATYENDRA KUMAR
Date: 29-08-2025

(सत्येंद्र कुमार)

उप आयुक्त (स्था०अराज०) राज्य कर
मुख्यालय, लखनऊ।

आन्तरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,
510/217, न्यू हैदराबाद, लखनऊ-226007

Website: upiaad.up.gov.in
E-mail: dia.upfinance@gmail.com

Telephone: 0522-4331772, 0522&4331773
E.H.R.M.S Code: 1531435

पत्रांक-आ0ले0प0- 1691 / 8160/अधि0/मा0रा0/2018 दिनांक 27.07.2028
सेवा में,
समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

विषय: विभिन्न विभागों/कार्यालयों में कार्यरत समस्त लेखा संवर्ग के कार्मिकों का मानव सम्पदा पोर्टल पर, स्वयं अथवा आश्रित के विकलांगता, स्वयं व आश्रित की गम्भीर बीमारी एवं पति-पत्नी का राजकीय सेवा में कार्यरत होने का विवरण दर्ज किये जाने विषयक।

महोदय,

कृपया निदेशालय के पत्र सं0 आ0ले0प0 865/8160/अधि0/मा0रा0/2018 दिनांक 04.07.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से ऐसे पदोन्नत लेखाकारों जिनकी पदस्थापना की कार्यवाही पूर्ण किया जाना है की सूची संलग्न करते हुये, ऐसे कार्मिक जो पदस्थापन की प्रक्रिया में किसी प्रकार की छूट/भारांक चाहते हों तो उक्त कार्मिकों के सेवा विवरण में (स्वयं अथवा आश्रित की विकलांगता, एवं पति-पत्नी का राजकीय सेवा में होने, निलम्बन/बहाल होने की प्रविष्टि सेवा से निष्कासन, कार्मिक की मृत्यु का विवरण) मानव सम्पदा पोर्टल पर दर्ज कराये जाने की अपेक्षित कार्यवाही पूर्ण किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। उल्लेखनीय है कि कार्मिक विभाग उ0प्र0 शासन के विभिन्न शासनादेशों द्वारा राजकीय विभागों में कार्यरत कार्मिकों के सेवा सम्वन्धी समस्त कार्य मानव सम्पदा पोर्टल के माध्यम से व्यवहारित किये जाने के निर्देश हैं।

इस सम्वन्ध में अवगत कराना है कि सहायक लेखाकार से लेखाकार के पद पर प्रोन्नति प्राप्त कार्मिकों के पदस्थापना की कार्यवाही शासन स्तर पर प्रक्रियाधीन है। तदनुसार प्राप्त निर्देशों के क्रम में नव पदोन्नत लेखाकारों के पदस्थापन की कार्यवाही मानव सम्पदा पोर्टल के माध्यम से सम्पादित की जानी है।

उपरोक्तानुसार मानव सम्पदा पोर्टल से पदस्थापन की कार्यवाही पूर्ण किये जाने से पूर्व सहायक लेखाकार से लेखाकार के पदों पर प्रोन्नति प्राप्त ऐसे कार्मिकों को छूट/भारांक प्राप्त करने हेतु वांछित प्रविष्टियां मानव सम्पदा पोर्टल पर किये जाने की प्रक्रिया निम्नवत है:-

(अ) कार्मिक के पति/पत्नी शासकीय सेवा में

- यदि किसी कार्मिक के पति/पत्नी शासकीय सेवा में हैं, तो दोनों अपने सम्वन्धित कार्यालय की आफिस एडमिन आई डी0 के EDIT Registration Option का प्रयोग करेंगे।
- तदोपरान्त Husband/Wife eHRMS Code (If in Government) के OPTION में EHRMS कोड अंकित किया जायेगा।
- यदि EHRMS कोड उपलब्ध नहीं है तो कालम में शून्य (0) भरा जायेगा।
- यदि पति/पत्नी शासकीय सेवा में नहीं है तो कालम को खाली छोड़ दिया जायेगा।
- कतिपय कार्मिकों के P2 में NOT Alloted प्रदर्शित हो रहा है जबकि उनके SPOUSE शासकीय सेवा में नहीं हैं यह स्थिति त्रुटिपूर्ण है अतः कालम को EDIT करते हुये खाली (Blank) छोड़ दें, जिससे कि डाटा सही प्रदर्शित हो।
- सही डाटा भरे जाने की स्थिति में P2 शीट में यदि पति/पत्नी शासकीय सेवा में है तो EHRMS कोड प्रदर्शित होगा। यदि EHRMS कोड उपलब्ध न हो तो P2 में NOT Alloted प्रदर्शित होगा तथा पति/पत्नी शासकीय सेवा में नहीं है तो P2 में NOT IN GOVERNMENT प्रदर्शित होगा।

(ब) स्वयं की विकलांगता/स्वयं व आश्रित की गम्भीर बीमारी होने की स्थिति में

- कार्मिक को स्वयं की विकलांगता की प्रविष्टि सम्वन्धित कार्यालय की आफिस एडमिन आई डी0 के EDIT Registration Option का प्रयोग करेंगे।
- तदोपरान्त Special Category के वांछित OPTION को चुनें।

उपलब्ध है

अपट अधिवक्ता (अप)

28/8/25

963

- स्वयं व आश्रित की गम्भीर बीमारी होने की स्थिति में Health Status के वांछित OPTION को चुने।

अतः अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ कार्यालयों में तैनात ऐसे पदोन्नत लेखाकारों जिनकी पदस्थापना होनी है, उनका उपरोक्तानुसार मानव सम्पदा पोर्टल पर छूट/भारांक एवं सेवा विवरण अंकित कराने का कष्ट करें, ताकि पारदर्शिता के साथ पदस्थापन की कार्यवाही निर्धारित समयावधि में पूर्ण की जा सके। प्रत्येक कार्मिकों का विवरण भरते समय यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि विवरण सही/शुद्ध रूप से भरा गया है एवं उससे सम्बन्धित साक्ष्यों को भी कार्यालय में अवश्य संरक्षित कर लें क्योंकि पोर्टल पर भरी गयी सूचना के आधार पर कार्मिकों द्वारा लाभ प्राप्त किया जाता है। इस निदेशालय द्वारा पोर्टल पर उपलब्ध सूचना के आधार पर ही कार्मिकों के स्थानान्तरण आदि का निर्णय लिया जाता है। अतः उपरोक्त के दृष्टिगत आपका व्यक्तिगत सहयोग अपेक्षित है।

भवनीया,
(साधना श्रीवारतव)
निदेशक

पत्रांक व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-- समस्त कार्मिकों को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि मानव सम्पदा पोर्टल पर उक्तानुसार विवरण अंकित कराने के साथ साथ उक्त विवरण का साक्ष्य सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से इस निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे आपके वांछित भारांक को प्रमाणित किया जा सके।
- 2--समस्त नोडल अधिकारी/सहायक लेखाधिकारी मानव सम्पदा, उ0प्र0 को निर्देशित किया जाता है कि अपने-अपने आवंटित जनपद/कार्यालयों के कार्मिकों का उक्त विवरण मानव सम्पदा पोर्टल पर अंकित कराये जाने हेतु यथा आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।
- 3--प्रभारी, लेखाकार पटल को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि Spouse/स्वयं की विकलांगता/स्वयं व आश्रित की गम्भीर बीमारी सम्बन्धी सूची साक्ष्यों सहित पत्रावली पर प्रस्तुत एवं संरक्षित करें।
- 4--प्रभारी, आई0टी0 सेल को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

निदेशक